हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 73

शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 2008(स्थगित) तथा 2948 से 2953 तथा 2956 से 2958 तथा 2960 व 2961 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री/उप-मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2954 तथा 2959 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2955 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2962 से 2971 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 958(स्थगित) तथा 1255 से 1266 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने वर्तमान सरकार के प्रयासों से 100 मेगावाट जल विद्युत क्षमता की ऊहल जल विद्युत परियोजना (तृतीय चरण) में जल विद्युत उत्पादन के बारे में सदन में वक्तव्य दिया।

शून्य काल

माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार ने विषय उठाया कि पिछले वर्ष उनके चुनाव क्षेत्र के समेज गांव में बादल फटने से कुछ लोग मर गए थे और कुछ लोगों के घरों को नुकसान हुआ था जिस हेतु ग्रीनको कंपनी द्वारा शिमला जिला से संबंधित लोगों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई लेकिन उनके जिला के पीड़ितों को मुआवजा राशि नहीं दी गई।

इस पर **माननीय मुख्य मत्री** ने कहा कि पीड़ित लोगों को पूरा मुआवजा मिलेगा क्योंकि सरकार ने एक अपनी मुआवजा राशि घोषित की है। अगर कंपनी ने किसी को मुआवजा दिया और किसी को नहीं दिया या कोई अन्याय हुआ होगा तो सरकार उसका भी ख्याल रखेगी।

माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह ने पिछले दिनों जिला मण्डी में एक ढाबा संचालक पर हुए हमले तथा क्षेत्र में होने वाली अन्य आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत रिवाल्सर में थाना खोलने बारे विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि-

> "This is regarding re-opening of a de-notified Police Station in view of the Law and Order situation in a particular place. The Government will consider it. We have taken cognizance of your issue, and we will be

taking up the issue with the Government also. What action has been taken on these issues raised in the Zero Hour will be informed to this august House in the next Session."

माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल ने विषय उठाया कि सरकारी कार्यालयों तथा निजी कार्यालयों में वर्तमान समय में बहुतायत तौर पर महिला कर्मचारियों के साथ मानसिक, शारीरिक और मौखिक रुप से दुर्व्यवहार किया जाता है। अतः कार्यालयों के अंदर कैमरों में ऑडियो सिस्टम लगाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी घटना के समय रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो सके।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि -

"This is again a very important issue, which have been brought by Hon'ble Member Shri Inder Dutt Lakhanpal, and House has taken cognizance of this issue also. We will be requesting the Government to take a note of it and inform this House regarding this issue."

माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने चम्बा शहर के अंदर HRTC की राइड विद प्राइड की टैक्सिज के खराब रहने तथा बसों की कमी बारे विषय उठाया।

जिस पर **उप-मुख्य मंत्री** ने कहा कि नई गाड़ियों को खरीदने की प्रक्रिया जारी है और जब नई गाड़ियां आएंगी तो उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने अपने विधान सभा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोगों की कुछ जमीन पंजाब में आने के कारण उन्हें पानी और बिजली के कनैक्शन न मिलने बारे विषय उठाया तथा एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम का ज़िक्र भी किया जिसने पंजाब स्टेट के बिजली बोर्ड के अधिकारियों से लिखवाकर भी दे दिया है लेकिन उसे कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि अगर संबंधित व्यक्ति की जगह है और वह विस्थापित है तथा ऐसा प्रोविज़न है तो उनका मीटर लगवा दिया जाएगा।

माननीय सदस्य श्री राम कुमार ने अपने विधान सभा क्षेत्र के सी0एच0सी0 पट्टा में डॉक्टर का एक पद और सृजित करने बारे विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि-

> "Hon'ble Minister, if you want to reply, then okay and if you don't want to reply, please take cognizance of this fact. Hon'ble Member wants to have another post in an institution which he has referred to and that is a part of the record. Which will be supplied to you."

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री पवन कुमार काजल, सदस्य ने **"कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं की डी0पी0आर0"** के बारे उप-मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

उप-मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

4. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 व 38 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 1)"पारित हुआ।

(ii) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य ने चर्चा की एवं बिल को अध्ययन हेतु सिलैक्ट कमेटी को भेजने का सुझाव दिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 व 16 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5)"पारित हुआ।

4.(क) विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 2025 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 2025 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 व 30 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियन्त्रित पदार्थ (निवारण, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 6)" पारित हुआ।

(ii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)" पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य सर्वश्री रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, हरीश जनारथा, केवल सिंह पठानिया, विनोद सुल्तानपुरी, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने चर्चा की।

राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4)" पारित हुआ।

(iii) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने बिल को लाने के उद्देश्य बारे संक्षिप्त जानकारी दी।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 7)" पारित हुआ।

(iv) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5 व 6 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 8)"पारित हुआ।

(v) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी व डॉ0 हंस राज तथा कृषि मंत्री, विनोद कुमार, सदस्य तथा राजस्व मंत्री, संजय रत्न, इन्द्र दत्त लखनपाल, इन्द्र सिंह, राकेश कालिया, हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री व नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने बिल पर अपने विचार व्यक्त किए।
माननीय मुख्य मंत्री ने बिलों को लाने के पीछे के कारणों बारे स्पष्टीकरण दिया।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)"को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 9)" पारित हुआ।

(vi) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन

(संशोधन) विधेयक, 2025 2025 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4 व 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 2025 का विधेयक संख्यांक 10)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 2025 का विधेयक संख्यांक 10)" पारित हुआ।

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य ने **शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गवाही-कड़ोग सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से पर रिटेनिंग वॉल न बनने बारे** विशेष उल्लेख उठाए गए तथा **लोक निर्माण मंत्री** द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

सत्र का समापन

सत्र की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री का संबोधन

"इस विधान सभा में कई ऐतिहासिक बिल लाए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल आर्गेनाइज्ड क्राइम और एंटी ड्रग्ज़ के लिए हम लेकर आए हैं। इस सदन ने उसको ध्वनिमत से पास किया, इसके लिए मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आप सदन का संचालन करते हैं और जिस प्रकार से आप विपक्ष को अधिक समय देते हैं, यही लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है। कई बार भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं जिन पर हमारी सरकार कार्रवाई भी करती है लेकिन हर चीज़ के हर पहलू को देखने के बाद ही कोई फैसला उसमें किया जाता है। इस बार विपक्ष ने सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभाई है क्योंकि इन्होंने बहुत कम वॉकआउट किया है और अपने प्रश्न ज्यादा किए हैं। इसके लिए भी हम विपक्ष का धन्यवाद करते हैं। वॉकआउट एक राजनीतिक हथियार है लेकिन इसका इस्तेमाल सही समय पर हो तो अच्छा रहता है। हमारे जो युवा साथी पहली व दूसरी बार चुनकर विधान सभा में आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। मैं विधान सभा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जो दिन-रात विधान सभा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। मैं पत्रकार बंधुओं का भी जो हमारी खबरों को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आप कार्यवाही का संचालन करते हैं, उसके लिए मैं आपका सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूंगा। विपक्ष के नेता पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, विपिन सिंह परमार जी, रणधीर शर्मा जी, इन्द्र दत्त लखनपाल जी तथा अन्य सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने सदन में बहुमूल्य विचार रखे हैं। सत्ता आती-जाती है लेकिन राजनीतिक जीवन में एक बार सत्ता में आने का मौका मिले तो कुछ अच्छे कार्य करने की कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद।"

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने सत्र की समाप्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सत्र वर्तमान सरकार का तीसरा बजट है जोकि आज समापन की ओर अग्रसर है हालांकि यह सत्र बाकी सत्रों की तुलना में छोटा रहा लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण या कट मोशन्ज के संदर्भ में खुले मन से चर्चा की है। मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हिमाचल

प्रदेश की विधान सभा छोटी है लेकिन यदि यहां विधान सभा की कार्यवाही की चर्चा का स्तर और उसमें माननीय सदस्यों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की बड़े-बड़े राज्यों से तुलना की जाए तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही बेहतर स्थान पर आकर खड़ा होता है।

अध्यक्ष महोदय, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हमारी सारी बातों से सरकार सहमत होगी, यह भी सम्भव नहीं है और न ही विपक्ष सरकार की हर बात पर सहमत हो सकता है। प्रदेश-हित में जो हमें आवश्यक लगते थे, हमने वे मुद्दे उठाने के प्रयत्न किए हैं। वह चाहे सदन के अंदर की बात है या सदन से बाहर की बात है। मैं यहां पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहां पर सभी ने जनहित के मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से उठाए हैं।

यहां पर विधान सभा के सचिवालय ने बहुत ही परिश्रम के साथ काम किया है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं।

मैं अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इस सत्र के संचालन के दृष्टिगत जो जानकारियां चाहिए थीं, उनको उपलब्ध करवाया है।

हमारी बात को जन-जन तक पहुंचाने में हमारे मीडिया के साथियों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस कुशलता और निष्पक्षता से आपने सदन का संचालन किया, वह सराहनीय है। "

सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन

"आज बजट सत्र की अन्तिम बैठक है। इस सत्र में 16 बैठकें प्रस्तावित थीं लेकिन होली के उपलक्ष्य पर 15 मार्च को निर्धारित सत्र की बैठक को स्थगित किया गया था। इस सत्र के दौरान नियम-41 के अन्तर्गत कुल 572 तारांकित तथा नियम-44 के अन्तर्गत 196 अतारांकित प्रश्न तथा नियम-46 के अन्तर्गत अल्प सूचना प्रश्न के 3

विषय प्राप्त हुए जिनके उत्तर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाए गए तथा सदन के पटल पर रखे गए। नियम-61 के तहत 2 विषय, नियम-62 के 10 विषय तथा नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव हेतु कोई विषय नहीं आया। नियम-130 के अन्तर्गत 14 विषय माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए। क्योंकि यह बजट सत्र था तो इसमें ज्यादातर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट के ऊपर विस्तृत चचा होती है इसलिए नियम 130 के अंतर्गत जो विषय थे, वे सदन में नहीं आए क्योंकि वे सारे विषय अन्यथा चर्चा में आ गए थे।

सत्र में दो दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित थे जिस पर माननीय सदस्यों ने नियम 101 के अन्तर्गत 7 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। इसमें से 3 संकल्प चर्चा के उपरान्त सदस्यों द्वारा सदन से वापिस लिये गये। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 01 विषय प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया।

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों से 24 विषय प्राप्त हुए जिनमें से बहुत से विषय नियमों की परिधि में नहीं आते थे क्योंकि बार-बार उन्हीं विषयों को उठाया गया जिन पर प्रश्नों के माध्यम या फिर अन्य किसी प्रस्तावों से प्राप्त सूचनाएं थी। फिर भी मैंने माननीय सदस्यों के 15 विषयों को उठाने का अवसर दिया।

मेरा भरसक प्रयास रहा कि उपरोक्त सभी नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों के सभी विषयों को सदन में चर्चा के लिए अवसर दिया जाए और सभी ने अपने-अपने विषयों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान, बजट की सामान्य चर्चा तथा कटौती प्रस्तावों के माध्यम से उठाया भी है। सदन की कार्यवाही कुल 73 तक घण्टे चली और इसकी कार्य उत्पादकता 110 प्रतिशत रही।

बजट सत्र की कार्यवाही देखने के लिए हरियाणा के माननीय अध्यक्ष यहां आए थे और यहां पर माननीय सदस्यगण जिस तरह से अपने विचारों के माध्यम से प्रदेश के विषयों को उठा रहे थे, उसकी उन्होंने सराहना की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष भी माननीय सदन में आए थे हालांकि उस समय सत्र नहीं चल रहा था। हमारा यहां अपना एक इतिहास है जैसे सदन में हमारे सामने विट्ठल भाई का पोर्ट्रेट है इसलिए मेरी ड्यूटि सदन में न्यूट्रल रहने की है और दोनों पक्षों के सदस्यों को समय देने की है। यहां हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े हुए विषयों को चर्चा में लाना होता है इसलिए मैं समय-समय पर आदेशों की पालना करते हुए अपना काम करता हूं।

मेरा प्रयास रहता है कि सभी को समय मिले। क्योंकि मुख्य मंत्री सदन के नेता होते हैं और सदन के नेता को हर विषय के ऊपर जानकारी भी देनी होती है तो इन्हें अधिक समय की जरूरत होती है और दूसरी तरफ हर विषय के ऊपर जहां नेता प्रतिपक्ष को भी विषयों पर जानकारी चाहिए होती है इसलिए उनको भी माकूल समय दिया जाता है। मेरा प्रयास रहा है कि हमारे जो प्रथम बार के चुने हुए माननीय सदस्यगण हैं; और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इन दो वर्षों में जो माननीय सदस्य नये चुनकर आए हैं उन्होंने विधान सभा के नियमों की पालना करते हुए अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषयों को बहुत गम्भीरता के साथ सदन में उठाया है और एक अच्छा संदेश यहां से हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास किया है।

मैं सभी, विशेष रूप से सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान, विधान सभा उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार तथा सभापति तालिका के सदस्यों तथा पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने समय-समय पर जो यहां रूलिंग्स दी या सहयोग की अपेक्षा की, मुझे सभी का सहयोग मिला है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के आप सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुँचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इस सदन में आखिर में तीन बिल पास किए हैं और आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी मेरे पास आया है जिसको मैंने सरकार को संज्ञान के लिए भेजा है। हमारे प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथी दिन-रात काम करते हैं और खतरों से खेलते हैं इसलिए इन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए इस पर भी सरकार आने वाले समय में विचार करे कि उनको भी हरियाणा की तर्ज़ पर पेंशन के रूप में कोई सहायता मिले।

मैं पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन में कानून व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए एक छोटे से कॉन्स्टेबल से लेकर एक बड़े से बड़े उच्च अधिकारी तक काम किया है। विधान सभा सचिवालय के सभी उच्च अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से सदन की 15 बैठकों में हम सबने मिल कर काम किया है। सदन में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषय पर चर्चा न हुई हो। अगर कोई विषय छूटा है तो शून्य काल के माध्यम से भी सदन के ध्यान में लाया गया

है। मुझे सरकार से अपेक्षा है और सरकार बहुत संवेदनशील है, विषयों को बहुत गंभीरता से लेती है और प्रशासन के अधिकारी भी विषयों को गंभीरता से लेते हैं कि जो निर्णय हमने यहां सदन में लिए हैं उनको आप अक्षरशः लागू करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा व सुरक्षा करेंगे।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(4.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)